न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 60/2017

RCMS No. 2017/00273

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 ताराराम पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर निवासी सेहवाज हाल निवासी खारची तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. ग्राम पंचायत सेहवाज जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेहवाज 2. सरपंच ग्राम पंचायत सेहवाज तहसील मारवाड़ जंक्शन 3. ढगलाई पत्नी पन्ना जाति गुर्जर निवासी सेहवाज तहसील मा0जं0

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 27/8/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेहवाज द्वारा मिसल संख्या 8/1977–1989, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 28.09.1981 की पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के पति पन्नालाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 28.09.1981 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत सुनवाई तिथि को वास्ते पैरवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि खीवा की भूमि थी। खीवा के चार पुत्र, लाला, भोमजी, मिश्रा एवं गिरधारी थे। प्रार्थी गिरधारी का पुत्र है। मिश्रा तथा भोमजी लाऔलाद फौत हो चुके है। लाल के पुत्र पन्ना था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिशान के तौर पर अप्रार्थी संख्या 3 है। इस प्रकार उक्त भूमि खीवा की होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थी का भी 1/2 हक हिस्सा निहित है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा न तो विधिवत मिसल कायम की तथा न ही कोरम में कोई आदेश पारित किया गया। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के पति के नाम जारी पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण खारिज किया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सेहवाज द्वारा मिसल संख्या 8/1977–1989, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 28.09.1981 की पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के पति पन्नालाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 28.09.1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्रांक/06/2017–18 दिनांक 09.10.2017 के जरिये वांछित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के पति पन्नालाल के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सेहवाज द्वारा मिसल संख्या 8/1977–1989, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 28.09.1981 की पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के पति पन्नालाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 28.09.1981 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत सेहवाज को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/8/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली